

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- ५४५ / FP/UK/ROAD/45326/2020 देहरादून: दिनांक: २५ अगस्त, 2022

सेवा में,

✓ सचिव,

वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद—पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार—सतपुली के (सेक्शन देवलखाल से सतपुली के कि०मी० 166.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 42.076 है० वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/45326/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, धुमाकोट द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 42.076 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रपत्र भाग—I से भाग—III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सेंद्रियिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

२५/८/२२
(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या /FP/UK/ROAD/45326/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
- मुख्य वन संरक्षक/गढ़वाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की एक फोटो प्रति अपने नियंत्राधीन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर, समय—समय पर प्रकरण की समीक्षा करते रहा जायें।
- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद—पौड़ी।
- प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार।
- अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, धुमाकोट।

२
—
|
/
(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17-	<p>टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<p>प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।</p>
-----	---	--

हस्ताक्षर : 25/8/22

तिथि : 25-08-2022

स्थान : देहरादून

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।